अत्यावश्यक सुरक्षा सूचना

विषय: कक्षा XI एवं XII के विद्यार्थियों की सुरक्षित निकासी के संबंध में

विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निम्नलिखित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू की जाती है—

कक्षा XI एवं XII के विद्यार्थियों को विद्यालय लाने एवं छुट्टी के उपरांत सुरक्षित घर ले जाने की जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी।

अभिभावक स्वयं उपस्थित न हो सकें तो लिखित रूप से अधिकृत वयस्क प्रतिनिधि को भेजें।

बिना अभिभावक अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के किसी विद्यार्थी को विद्यालय परिसर से बाहर नहीं भेजा जाएगा।

अभिभावक छुट्टी के निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपने पाल्य को प्राप्त करें।

विद्यार्थी विद्यालय के आसपास अनावश्यक रूप से न रुकें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत विद्यालय प्रशासन को दें।

सभी अभिभावकों से अपेक्षा है कि वे इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन करते हुए विद्यालय प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

— विद्यालय प्रशासन

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक–1, दिल्ली छावनी